कोटा-बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बोर्ड बैठक आयोजित

कोटा, (निसं)। कोटा-बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बोर्ड बैठक पशुपालक किसानों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। सोमवार को सरस सभागार में आयोजित इस बैठक में किसान हितैषी निर्णय लेते हुए दूध की खरीद दर में 30 प्रति किलो फैट की बढ़ोतरी की गई है।

साथ ही कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए 1800 क्विंटल निःशुल्क बीज वितरण की महत्वाकांक्षी योजना को भी मंजूरी दी गई। बैठक की अध्यक्षता संघ के अध्यक्ष चैनसिंह राठौड़ ने की, जिसमें संघ के प्रबंध निदेशक दिलखुश मीणा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार कोटा जोन बिलविंदर सिंह गिल, उपरजिस्ट्रार राजेश कुमार मीणा, आरसीडीएफ प्रतिनिधि सुधांशु गुर्जर, तथा अन्य संचालकगण उपस्थित रहे।

कोटा-बूंदी जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की बोर्ड बैठक अध्यक्ष चैन सिंह राठौर की अध्यक्षता में संपन्न हुई है।

दूध खरीद दर में वृद्धि:- संघ के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने बताया कि हजारों पशुपालकों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए संघ ने दुग्ध क्रय दर में वृद्धि का निर्णय लिया है। दूध की खरीद दर को 770 प्रति किलो फैट से बढ़ाकर 800 प्रति किलो फैट कर दिया गया है।

बूथ एजेंटों को अतिरिक्त लाभ:- राठौड़ ने कहा कि निर्णय दूध वितरण नेटवर्क को मजबूत बनाने और एजेंटों की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में प्रयत्नशील रहता है इसी क्रम में सकारात्मक कदम लेते हुए बूथ एजेंटों के हितों को ध्यान में रखते हुए गोल्ड एवं टोन दूध पर एजेंट कमीशन में 0.50 की वृद्धि करके 2.50 प्रति लीटर कर दिया गया है।

नया उत्पाद टी स्पेशल दूध लॉन्च:- एमडी दिलखुश मीणा ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए नया 'टी स्पेशल दूध' लॉन्च किया गया है। इसमें 20 में 300 मिलीलीटर दूध और 400 मिलीलीटर दही की पैकिंग उपलब्ध होगी। यह नया उत्पाद बाजार में उपभोक्ताओं को किफायती दर पर गुणवत्तापूर्ण डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

1800 क्विंटल निःशुल्क बीज वितरण की महत्वाकांक्षी योजना:- केंद्र सरकार की निःशुल्क बीज योजना के तहत संघ द्वारा किसानों को कुल 1800 क्विंटल बीज वितरित किए जाएंगे। इसमें ज्वार के 600 क्विंटल, मक्का के 700 क्विंटल और बाजरा के 500 क्विंटल बीज शामिल हैं। इस महत्वाकांक्षी योजना से कोटा के 2,000 किसान और बूंदी के 3,000 किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे।

विकास की दिशा में नया कदम:- संघ के अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि वर्षा ऋतु में चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पशु संख्या और भूमि के अनुपात में किसानों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि संघ को नियमित दूध आपूर्ति करने वाले पशुपालकों को प्राथमिकता के आधार पर निःशुल्क जई, मक्का, ज्वार के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे।

राठौड़ ने आगे कहा कि तीसरी और चौथी कटाई के बाद संघ द्वारा फसल की पुनः खरीद भी की जाएगी, जो किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक होगी। उन्होंने केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर जनता का भरोसा बना रहे तो विकास और समृद्धि की सौगात मिलती रहेगी।

महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम:- एमडी मीणा ने बताया कि बैठक में 9 नई समितियों के गठन को मंजूरी दी गई, जिसमें 3 महिला समितियों का गठन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह निर्णय ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन महिला समितियों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़ने और उनकी आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में काम किया जाएगा।

प्रबंध निदेशक का विस्तृत बयान:- प्रबंध निदेशक दिलखुश मीणा ने बताया कि बैठक में संघ की भौतिक एवं आर्थिक प्रगति, दुग्ध क्रय-विक्रय दरों में संशोधन, पंजीकृत दुग्ध सहकारी समितियों की सदस्यता, और सिविल कार्यों सहित कुल 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी निर्णय आम सहमति से लिए गए हैं और इनका क्रियान्वयन तत्काल प्रभाव से शुरू हो जाएगा।

यह रहे उपस्थित:- इस महत्वपूर्ण बैठक में अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़, प्रबंध निदेशक दिलखुश मीणा, अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समिति कोटा जोन बिलविंदर सिंह गिल, उप रजिस्ट्रार राजेश कुमार मीणा, आरसीडीएफ प्रतिनिधि सुधांशु गुर्जर की उपस्थिति विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। इसके अतिरिक्त संचालक मंडल के सदस्यों में गौरी शंकर, धनराज सैनी, जोधराज किराड़, बनवारी लाल नागर, माया किराड़, हरनाथ मीणा, रामेश्वर, फोरंता बाई, और शैतान गुर्जर ने भी बैठक में सक्रिय भागीदारी की। सभी सदस्यों ने किसान हितैषी निर्णयों का स्वागत करते हुए इनके सफल क्रियान्वयन के लिए अपना पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया।

आज विद्युत आपूर्ति सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक बंद रहेगी

रामगंजमण्डी, (निसं)। क्षेत्र के 220केवी जीएसएस मोडक पर नया 132/33केवी, 31.5 एम वी ए ट्रांसफार्मर स्थापित करने व 33 के वी मेन बस पर कार्य करने हेतु 23 जून सोमवार को लिया जाने वाला शटडाउन

■ **बारिश के कारण शट डाउन का समय परिवर्तित भी किया जा सकता है**

अब 24 जून मंगलवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। जिसमें 220केवी जीएसएस मोडक से जुड़े समस्त 33केवी फीडर रामगंजमंडी, चेचट, असकली, मदनपुरा, रिको व गुंदी की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। राजेश कुमार अरोड़ा अधिशाषी अभियंता 220केवी ग्रिड सब स्टेशन प्रसारण निगम मोडक ने बताया कि लगातार बारिश के कारण कार्य में बाधा होने पर शटडाउन का समय परिवर्तित भी किया जा सकता है।

स्मैक तस्करी के आरोपियों को पांच वर्ष का कठोर कारावास

कोटा, (निसं)। विशिष्ट न्यायालय एनडीपीएस कोटा के न्यायाधीश रामपाल जाट ने स्मैक तस्करी के आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 50,000 जुर्माने की सजा से दंडित किया है। विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र सिंह निर्भय ने बताया कि 23 मई 2018 को थाना अनन्तपुरा कोटा शहर ने नाकाबंदी के दौरान दो शख्सों को मय वाहन कार स्विफ्ट गाड़ी डिटेन किया। शख्सों से उनका नाम पता पूछा तो फ्रंट सीट पर बैठे हुए शख्स ने अपना नाम अब्दुल मलिक पुत्र छोटे खां निवासी मिर्जापुर थाना इकलेरा जिला झालावाड़ का होना बताया तथा कार चालक ने अपना नाम अब्दुल वाजिद पुत्र अब्दुल मजीद निवासी टंकी के पास थाना मंडाना कोटा ग्रामीण का होना बताया। शख्सों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद की। स्मैक का शुद्ध वजन 100 ग्राम हुआ। जिसको जब्त कर पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात अभियुक्त अब्दुल मलिक के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट एवं अभियुक्त अब्दुल वाजिद और अभियुक्त निजामुद्दीन उर्फ निजाम उर्फ कालू के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

कार्यालय नगर निगम, कोटा दक्षिण (राज.)

क्रमांक:-ननिकोद/जोन-प्रथम/भ.नि.अनु./2025/4022 दिनांक: 23.06.25

स्वामित्व हस्तांतरण बाबत सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री नितेश जैन पुत्र श्री निर्मल जैन निवासी-बी-10-ए त्रिवेणी आवास बजरंग नगर कोटा (राज.) ने नगर निगम कोटा दक्षिण भूखंड संख्या-361 शोपिंग सेन्टर कोटा (राज.) नगर निगम कोटा नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। भूखंड संख्या-361 शोपिंग सेन्टर कोटा क्षेत्रफल-400 वर्गफुट का कार्यालय नगर निगम कोटा द्वारा पत्र क्रमांक : ननिको/98/के/7941 दिनांक 27.06.2002 से श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन को दुकान का नाम हस्तांतरण जारी किया गया। श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र श्री विमल कुमार जैन की मृत्यु दिनांक 01.09.2021 को हो चुकी है। उनकी मृत्यु उपरांत उनके शेष विधिक वारिसान श्रीमती शकुन्तला जैन पत्नी श्री विमल कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन पत्नी श्री निर्मल कुमार जैन एवं शुभम जैन पुत्र श्री निर्मल कुमार जैन ने 380 वर्गफुट का पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 07.07.2024 से श्री नितेश जैन पुत्र श्री निर्मल जैन के पक्ष में त्याग दिया है। श्री नितेश जैन पुत्र श्री निर्मल जैन के पक्ष में नाम हस्तांतरण की कार्यवाही की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार नगर निगम कोटा दक्षिण में उक्त भूखंड के स्वामित्व नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही की जा रही है। उक्त भूखंड का स्वामित्व नाम हस्तांतरण करने में किसी व्यक्ति, संस्था या अन्य किसी को भी उक्त भूखंड से संबंध रखता है, को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस में अपनी आपत्ति लिखित में उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण कार्यालय में प्रस्तुत करें। बाद मियाद आपत्ति मान्य नहीं होगी। **उपायुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण**

सिन्धी व्यंजनों के प्रतिभागी पुरस्कृत

कोटा, (निसं)। सिन्धु सोशल सर्किल के सिन्धु संस्कृति, संस्कार, सेवा समर कैम्प के समापन दिवस पर तीन दिनों में शामिल 48 सिन्धी व्यजन लाने वाले 36 प्रतिभागियों, सिन्धी भाषा व संस्कृति प्रश्नोत्तरी के 18 विजेताओं और सभी विषय विशेषज्ञों को लीला माँ दरबार के साईं सुरेश स्वामी के सानिध्य में सर्किल की ओर से पुरुस्कृत किया गया। तीसरे दिन जाने माने मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉ.जी.डी. रामचंदानी ने खान-पान और जीवन शैली में बदलाव करके मधुमेह के दुष्प्रभाव से बचने और कोटा मेडिकल कॉलेज के फिजियोथेरेपी विभागाध्यक्ष डॉ. हर्ष.एम.राजदीप ने मसल्स मैनेजमेंट के जरिए शारीरिक तंदुरुस्ती को बेहतर करने के उपाय बताए। अध्यक्ष विमल परियानी ने स्वागत भाषण दिया जबकि उपाध्यक्ष हरीश दयानी ने आभार प्रकट किया। संचालन सचिव किशन रतनानी ने किया और महिला सशक्तिकरण पर अपनी लिखी एक सिन्धी कविता कुदरत का कमाल सुनाई। खेलों इंडिया में चयनित नन्ही योगिनी जान्हवी आहूजा ने अपनी कला का प्रदर्शन करके तालियां बटोरीं। योग गुरु विनोद अजवानी ने योग के जरिये स्वास्थ्य पर कुछ क्रियाएं करवाई। कार्यकारिणी सदस्य संतोष करमचंदानी ने प्रश्नोत्तरी करवाई, सिन्धु महिला सर्किल की पूर्व संरक्षक पूनम रतनानी, अध्यक्ष नीतू वनवानी, सचिव निर्मला आहूजा व अन्य ने सिन्धी भजन प्रस्तुत किए। विजेताओं को सर्किल के संरक्षक मंडल सदस्य किशोर मदनानी, सलाहकार विनोद अजवानी, पूर्व अद्यक्ष रमेश आहूजा, बंसीलाल साधवानी, प्रकाशवीर नाथानी, सांस्कृतिक सचिव प्रेम संतवानी, कोषाध्यक्ष मनोहर दयानी, मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉ.जी.डी. रामचंदानी, कोटा मेडिकल कॉलेज के फिजियोथेरेपी विभागाध्यक्ष डॉ हर्ष एम राजदीप, बोरखेड़ा सिन्धी पंचायत के अद्यक्ष नरेश लखवानी और राजेश कृपलानी, सिन्धु महिला सर्किल की सविता साधवानी व अन्य पधाधिकारियों ने सम्मानित किया। लीला माँ दरबार के साईं सुरेश स्वामी और बोरखेड़ा सिन्धी पंचायत ने सर्किल के सभी सदस्यों व विशेषज्ञों को शॉल व दुशाला पहनाकर उनका सम्मान किया।

रोटरी क्लब कोटा ने रचा इतिहास, डिस्ट्रिक्ट-3056 में सबसे श्रेष्ठ क्लब घोषित

■ **मुकेश व्यास को बेस्ट प्रेसिडेंट का अवार्ड**

कोटा, (निसं)। रोटरी क्लब कोटा ने सेवा और समर्पण की नई मिसाल कायम करते हुए डिस्ट्रिक्ट 3056 के 'बेस्ट क्लब' का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। वहीं क्लब अध्यक्ष मुकेश व्यास को उनके प्रेरणादायी नेतृत्व और उत्कृष्ट कार्यशैली के लिए बेस्ट क्लब प्रेसिडेंट का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह गौरवशाली क्षण जयपुर के एंटरटेनमेंट पैराडाईज में आयोजित आदित्य डिस्ट्रिक्ट अवार्ड्स सेरेमनी में अनेक रोटेरियन्स की उपस्थिति में सामने आया। कोषाध्यक्ष जयंत उपाध्याय ने बताया कि क्लब को इस वर्ष कुल 30 पुरस्कारों से नवाजा गया। जो रोटरी के सेवा-पथ पर क्लब की प्रतिबद्धता, नवाचार और जनहित में किए गए कार्यों का जीवंत प्रमाण है। क्लब सचिव घनश्याम मूंदड़ा

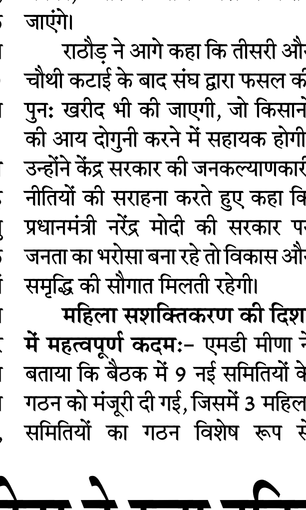
मुकेश व्यास

ने बताया कि क्लब को बेस्ट कम्युनिटी सर्विस, बेस्ट मेडिकल प्रोजेक्ट, बेस्ट वोकेशनल सर्विस, बेस्ट परमानेंट प्रोजेक्ट, बेस्ट वर्ल्ड रोटरी-डे सेलिब्रेशन, बेस्ट आरसीसी, बेस्ट इंटरैक्ट क्लब जैसे विशिष्ट पुरस्कार भी प्राप्त हुए। प्रवक्ता संजय गोयल ने बताया कि सचिव घनश्याम मूंदड़ा को आउटस्टैंडिंग सेक्रेटरी का सम्मान प्राप्त हुआ। वहीं नेहा गुप्ता को बेस्ट न्यू रोटेरियन का पुरस्कार मिला। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष मुकेश व्यास, सचिव घनश्याम मूंदड़ा, कोषाध्यक्ष जयंत उपाध्याय, पीडीजी प्रधुम्न पाटनी एवं डीजीई प्रज्ञा मेहता सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे।

मंदिर श्री फलौदी माताजी महाराज ट्रस्ट, खैराबाद के संशोधित विधान को मिली मंजूरी

रामगंजमण्डी, (निसं)। देवस्थान विभाग कोटा ने अखिल भारतीय मेडतवाल (वैश्य) समाज द्वारा निर्वाचित प्रन्यास मंदिर श्री फलौदी माताजी महाराज ट्रस्ट खैराबाद' के संशोधित विधान एवं प्रन्यासी परिवर्तन को प्रपत्र-4 में पंजीकृत कर वैधानिक मान्यता प्रदान कर दी है। नवनिर्वाचित प्रन्यास मंदिर श्री फलौदी माताजी महाराज ट्रस्ट, खैराबाद के केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक में महामंत्री पुरूषोत्तम घाटिया ने देवस्थान विभाग कोटा द्वारा 18 जून को दिये गये निर्णय को सुनाया।

उन्होंने कहा कि इस न्यायिक निर्णय से समाज में दो संस्थाओं के बीच चल रहे विवाद खत्म होंगे। समाज में एकता, भाईचारा, समन्वय और सौहार्द्र का वातावरण बनने से सामाजिक, धार्मिक एवं रचनात्मक आयोजनों में एकजुटता दिखाई देगी।

ट्रेन में लाखों की चोरी का पर्दाफाश

कोटा, (निसं)। तेजी से और कुशलता से की गई कार्रवाई में, हीरे और सोने के आभूषणों के साथ-साथ नकदी से जुड़ी एक उच्च-मूल्य की चोरी का मामला कुल 35.45 लाख आरपीएफ, राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) और स्थानीय अपराध शाखा (एलसीबी) द्वारा 48 घंटे के भीतर सुलझा लिया गया।

यह घटना इंदौर-दौंड एक्सप्रेस में हुई, जहां एक वरिष्ठ नागरिक और इंदौर निवासी ने 20 जून 2025 को सुबह उठने पर पाया कि उनका हैंडबैग गायब है। बैग में हीरे का कंगन, हीरे का हार, अंगूठियां, सोने की घड़ी, सोने की चेन और 50,000 नकद सहित कुल 40 लाख के कीमती गहने थे। 73 वर्षीय वृद्ध महिला अपने पति के साथ इंदौर से लोनावाला जा रही थी। वे लोनावाला में एक धार्मिक भागवत समारोह में भाग लेने जा रहे थे। रात को दोनों वृद्ध दंपत्ति खाना खाकर सो गए। महिला बहुत होश में थी, इसलिए वह हमेशा हैंडबैग अपनी बगल के पास रखती थी।

उन्हीं परिस्थितियों में वह सो भी गई। वह सुबह उठी जब ट्रेन सुबह करीब 7.30 बजे लोनावाला पहुंचने वाली थी जीआरपी, आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों ने अलग-अलग टीमें बनाकर अलग-अलग स्टेशनों पर भेजीं, जहां ट्रेन रुकी। ट्रेन का रूट इंदौर, देवास, उज्जैन, नागदा, खाचरोद, रतलाम, मेघनगर, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, वसई रोड, भिवंडी रोड, कल्याण, कर्जत, लोनावाला, चिंचवाड़, पुणे और दौंड से होकर गुजरता है। स्टेशन के सभी सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं। पता चला है कि एक व्यक्ति कल्याण में ट्रेन से उतरा और समय पर स्टेशन से बाहर नहीं आया। इसके बाद उसे ट्रैक किया गया। एक संभावित स्थान पर वह काफी सतर्क था और पुलिस और कैमरों से बचने की कोशिश कर रहा था।

नाम परिवर्तन

यह कि हम हुसैन टायरवाला के माता पिता है। 1. मुस्तफा टायरवाला (हुसैन टायरवाला के पिता) 2. अलेफिया टायरवाला (हुसैन टायरवाला की माता) हमने अपने पुत्र का पुराना नाम हुसैन से बदलकर नया नाम हुसैन टायरवाला रख दिया है। भविष्य में हमारे पुत्र को इसी नाम से जाना पहचाना जावे।

पता-हुसैन टायरवाला पुत्र मुस्तफा टायरवाला काजी साहब की मस्जिद के सामने टिपटा कोटा

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती चन्दा महावर पत्नी श्री गुलाबचंद, निवासी- मकान संख्या 223/डी, श्रृंगी किराना स्टोर के पास, छावनी, रामचन्द्रपुरा, कोटा (राज.) द्वारा उनके स्वामित्व के आवास संख्या 664 का पूर्वी भाग (पार्ट-ए) का उत्तरी भाग पैमायशी 900 वर्गफुट को रहन रखकर जना स्मॉल फाईनेंस बैंक से ऋण प्राप्त किया जा रहा है।

यह कि श्रीमती चन्दा महावर ने उक्त सम्पत्ति का क्रय श्री जगदीश चंद शर्मा से दिनांक 24.08.2018 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से किया था। उक्त सम्पत्ति श्री जगदीश चंद शर्मा की पुश्तैनी सम्पत्ति थी, जो उनको अपने भाई से पारिवारिक बंटवारे में प्राप्त हुई थी। जिसके दस्तावेजों की फोटोप्रतियां ही उपलब्ध है।

यह कि मेरी पक्षकारा द्वारा उक्त सम्पत्ति रहन रखकर जना स्मॉल फाईनेंस बैंक शाखा कोटा से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। उक्त सम्पत्ति को रहन करने के सम्बंध में यदि किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 7 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कमल गुप्ता, एडवोकेट
एम.पी.ए. 53 महावीर नगर द्वितीय, कोटा
मो. 9414288889, 9782799499

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती मनभरी बाई पत्नी श्री रमेश कुमार, निवासी- सोडा वाटर की दुकान के पास, सब्जीमण्डी, कोटा द्वारा श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री माकूब अली एवं श्री वसीम अकरम पुत्र श्री मेहराजुद्दीन अंसारी से उनके स्वामित्व की दुकान संख्या सी-3 कॉर्नर (भूतल) श्रीनाथ कॉम्प्लेक्स, गिरजाघर की गली, बृजराजपुरा, छोटी सब्जीमण्डी, कोटा पैमायशी 122.175 वर्गफीट क्रय की जा रही है। यह कि श्री मोहम्मद हुसैन पुत्र श्री याकूब अली एवं श्री वसीम अकरम पुत्र श्री मेहराजुद्दीन अंसारी ने उक्त दुकान का क्रय मैसर्स अरबन बिल्डर्स एण्ड कॉलोनाइजर्स से दिनांक 10.12.2024 को जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र किया था। यह कि क्रेता द्वारा उक्त सम्पत्ति को क्रय करने हेतु उक्त सम्पत्ति को रहन रखकर वास्तु हाउसिंग फाईनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शाखा कोटा से ऋण प्राप्त किया जा रहा है। उक्त सम्पत्ति को रहन करने के सम्बंध में यदि किसी भी व्यक्ति, बैंक, संस्था या अन्य को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता को 3 दिवस के भीतर सूचित कर अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

कमल गुप्ता, एडवोकेट
एम.पी.ए. 53 महावीर नगर द्वितीय, कोटा
मो. 9414288889, 9782799499

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भूखंड संख्या-171 वाके सूर्यनगर ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (राज.) के मूल स्वामी श्रीमती मोहिनी बाई पत्नी श्री चम्पूराम मीणा निवासी A-49 सुभाष कालोनी खेडली फाटक कोटा (राज.) द्वारा मेरे पक्षकार श्री नईम खान पुत्र श्री अब्दुल सलीम निवासी 32 शिवनगर कोटा (राज.) के पक्ष में एक मुख्तारनामा आम दिनांक 08.03.2022 को उक्त भूखंड के संबंध में समस्त कार्यवाही करने हेतु आलेखित करवा रखा है, जिसके आधार पर मेरे पक्षकार ने उक्त भूखंड के बेचान का इकरार श्रीमती शाहिना अंसारी पत्नी श्री मोहम्मद शरीफ निवासी हनुमान चौक के पास तहसील सांगोद कनवास जिला कोटा (राज.) से दिनांक 12.06.2025 को कर लिया है, उक्त सौदे से किसी भी आम व खास को किसी प्रकार का उज्र अथवा एतराज हो तो अन्दर 5 योम लिखित में मुझे अथवा मेरे पक्षकार को कर दे, इसके पश्चात कोई उज्र, एतराज मान्य नहीं होगा। सूचित हो।

कोटा
दिनांक: 23.06.2025

भवदीय
गोविन्द नामदेव एडवोकेट
मो. 9414284515

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती रचना कुमारी पत्नी महेन्द्र कुमार की खरीदशुदा सम्पत्ति मकान संख्या ए-66 वर्द्धमान रॉयल सिटी ग्राम बालिता तहसील लाडपुरा जिला कोटा में स्थित है। श्रीमती रचना कुमारी के द्वारा एचडीएफसी लि. से ऋण लिया हुआ था तथा उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेजात एचडीएफसी बैंक लि. में रहन कर रखे है। श्रीमती रचना कुमारी का दिनांक 10.05.23 को देहान्त हो चुका है। श्रीमती रचना कुमारी के पति महेन्द्र कुमार पुत्र धन्नालाल ने जाहिर किया है कि उनके अतिरिक्त स्व. श्रीमती रचना कुमारी के अन्य कोई विधिक वारिसान है। उक्त सम्पत्ति के पेटे लिए हुए ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी बैंक लि. को की जा चुकी है, स्व. श्रीमती रचना कुमारी के पति महेन्द्र कुमार उक्त सम्पत्ति के समस्त असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहते है। यदि इस संबंध में किसी भी दीगर व्यक्ति/संस्था/कम्पनी को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो तो मय दस्तावेज सूचना प्रकाशन की तिथि से 7 दिवस की अवधि में अद्योहस्ताक्षरकर्ता या एचडीएफसी बैंक लि. शाखा विज्ञान नगर कोटा के समक्ष लिखित आपत्ति मय दस्तावेज प्रस्तुत करे। बाद गुजरने मियाद सूचना कोई भी आपत्ति मान्य एवं प्रभावी नहीं होगी।

दिनांक : 18.06.2026

संदीप जैन एडवोकेट
583-ए तलवण्डी, कोटा
मो. 9829180432

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2025-26/825 **सार्वजनिक आपत्ति सूचना** दिनांक:-18.06.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री गोपाल गुर्जर पिता श्री देवीलाल गुर्जर निवासी खालगॉव तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) ने आवेदन प्रस्तुत कर नया बाजार आवासीय योजना अन्तर्गत आवंटित भूखंड संख्या 186 साईज 40x50 क्षेत्रफल 2000 वर्गफीट जो नया बाजार भूमि आवंटन समिति की ओर से अधिशाषी अभियन्ता राणा प्रताप सागर एवं भण्डार खण्ड रावतभाटा द्वारा श्री लालचन्द जैन पिता श्री मुकन्दलाल जैन निवासी रावतभाटा को इकरारनामे के तहत लीज होल्ड के आधार पर इकरार दिनांक 26.08.1987 के अंतर्गत लाईसेन्स (पट्टा) क्रमांक 3168 दिनांक 26.08.1987 से इकरारनामों में उल्लेखित शर्तों के अधीन आवंटित की गई थी। इसके उपरांत आवंटी ने उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत बख्शीशनामा दिनांक 01.08.2018 से श्रीमती वनमाला जैन पत्नी श्री लालचन्द जैन निवासी रावतभाटा को बख्शीश किया गया। जिसका नामान्तरण पालिका रिकार्ड में ऑनलाईन स्वीकृति पत्रांक 81538 दिनांक 24.10.2024 से दर्ज किया गया तथा इनके उपरांत नामान्तरिती श्रीमती वनमाला जैन ने उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 23.04.2025 से आवेदक श्री गोपाल गुर्जर पिता श्री देवीलाल गुर्जर निवासी खालगॉव तहसील रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) को विक्रय किया गया है। जिसके प्राप्त स्वामित्व के अधिकारों के तहत आवेदक द्वारा इस कार्यालय में उक्त खाली भूखंड के नामान्तरण हेतु स्व: प्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की गयी। जिसके तहत आवेदक के नाम उक्त खाली/रिक्त भूखंड का नामान्तरण दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

अत: प्रस्तुत दस्तावेजों व राज्यादेशों एवं नियमों के तहत इस खाली/रिक्त भूखंड का नामान्तरण/हस्तान्तरण किए जाने में किसी हितधारी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के अन्दर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे।

अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा

कार्यालय नगर पालिका रावतभाटा, जिला -चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्रमांक/नपारा/भूमि/2025-26/822 **आपत्ति आमंत्रण सूचना** दिनांक:-18.06.2025

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती ज्योति वर्मा पत्नी श्री अमित सिंह व पुत्री श्री लालचन्द वर्मा निवासी रावतभाटा ने इस कार्यालय में ऑनलाईन आवेदन मय शपथ पत्र एवं वांछित दस्तावेजों की स्व: प्रमाणित छायाप्रतियों को ऑनलाईन अपलोड कर नगर पालिका रावतभाटा की श्रीगणेश नगर आवासीय योजना के भूखंड संख्या 378 (कॉर्नर) श्रेणी (ब) साईज 30x70 क्षेत्रफल 1500 वर्गफीट अर्थात 139.41 वर्गमीटर का नामान्तरण/हस्तान्तरण अपने नाम पालिका रिकार्ड में दर्ज करने हेतु निवेदन किया है।

प्रस्तुत/ऑनलाईन अपलोड दस्तावेज एवं पत्रावली अनुसार यह भूखंड पालिका द्वारा नीलामी दिनांक 06.02.2009 अन्तर्गत श्री हृदय सागर पिता स्व. श्री चतुर्वेदी सागर निवासी कोटा को विक्रय किया गया था, जिसकी सम्पूर्ण राशि एवं एकमुश्त 10 वर्ष की लीज राशि जमा होने के उपरांत क्रेता के पक्ष में लीज डीड क्रमांक-दिनांक 27.01.2011 व पंजीयन दिनांक 09.02.2011 को करवाया गया तथा इसके उपरांत क्रेता ने पालिका से बिना विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15.02.2011 से श्री आजाद हुसैन मंसुरी पिता श्री मुबारिक हुसैन मंसुरी निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया। इसके उपरांत क्रेता श्री आजाद हुसैन मंसूरी ने पालिका से बिना विक्रय अनुमति प्राप्त कर उक्त भूखंड को श्रीमती हमीदा बानू पत्नी श्री लतीफ मोहम्मद मंसूरी निवासी रावतभाटा को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 15.11.2011 से विक्रय किया गया। जिसका नामान्तरण पालिका रिकार्ड में स्वीकृति पत्रांक 4512 दिनांक 30.01.2013 से दर्ज किया गया। इसके उपरान्त नामान्तरिती श्रीमती हमीदा बानू ने उक्त भूखंड को जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 19.05.2025 से आवेदक श्रीमती ज्योति वर्मा पत्नी श्री अमित सिंह व पुत्री श्री लालचन्द वर्मा निवासी रावतभाटा को विक्रय किया गया। जिसके आधार पर आवेदक के नाम भूखंड का नामान्तरण/हस्तान्तरण नियमानुसार दर्ज किया जाना प्रस्तावित है।

अत: उक्त भूखंड का नामान्तरण पालिका रिकार्ड में आवेदक के नाम दर्ज करने पर किसी भी व्यक्ति/विभाग/संस्था/बैंक इत्यादि को किसी प्रकार की कोई आपत्ति/उजर हो तो इस प्रकाशन से 07 (सात) दिवस के भीतर-भीतर अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मय साक्ष्य सबूत के अपनी आपत्ति/उजरदारी प्रस्तुत कर सकते है। आपत्ति अवधि समाप्त होने के पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी। सूचित रहे। **अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11/ विक्रय/2025/373 दिनांक:-23.6.25

नाम हस्तान्तरण स्वीकृति चाहने बाबत आम सूचना

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण कोटा द्वारा आवास/भूखंड संख्या-17 ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार योजना का आवंटन प्राधिकरण के पत्र क्रमांक-539 दिनांक 11.05.2001 द्वारा श्री रामा कृष्णा राजस्थान ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्रो. श्री राम किशन पुत्र श्री मालाराम को आवंटित किया गया था। श्री राम किशन के द्वारा श्री कैलाश नाथ खण्डेलवाल पुत्र श्री रामेश्वर दास खण्डेलवाल को उक्त भूखंड की कार्यवाही के संबंध में मुख्तारआम नियुक्त किया गया है। श्री कैलाश नाथ खण्डेलवाल के द्वारा मुख्तारआम के आधार पर उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26.02.2010 के द्वारा 1. श्रीमती गुडडी गुप्ता पत्नी श्री अशोक गर्ग 2. श्री मुकेश गर्ग पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता 3. श्रीमती रिंकू गर्ग पत्नी श्री विपिन गर्ग 4. विपिन गर्ग पुत्र श्री दामोदर लाल गर्ग को बैचान किया गया है। भूखंड क्रेता 1. श्रीमती गुडडी गुप्ता पत्नी श्री अशोक गर्ग 2. श्री मुकेश गर्ग पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता 3. श्रीमती रिंकू गर्ग पत्नी श्री विपिन गर्ग 4. विपिन गर्ग पुत्र श्री दामोदर लाल गर्ग के द्वारा उक्त भूखंड के नाम हस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी को भी कोई ऐतराज हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास/भूखंड संख्या-17 ट्रान्सपोर्ट नगर विस्तार योजना का नाम हस्तांतरण 1. श्रीमती गुडडी गुप्ता पत्नी श्री अशोक गर्ग 2. श्री मुकेश गर्ग पुत्र श्री राधेश्याम गुप्ता 3. श्रीमती रिंकू गर्ग पत्नी श्री विपिन गर्ग 4. विपिन गर्ग पुत्र श्री दामोदर लाल गर्ग नाम से जारी कर दी जावेगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण कोटा**

कार्यालय कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ-15/कृ.भू.रू./2025/561 **विज्ञप्ति** दिनांक:-23.6.2025

सर्व साधारण को जर्ये विज्ञप्ति सूचित किया जाता है कि ग्राम मानपुरा में स्थित कृषि भूमि योजना महाराणा प्रताप रेजीडेन्सी भूखंड संख्या 90 खसरा नं. 38 आवेदक/आवेदिका श्री राजकुमार मीणा पुत्र श्री छीतर लाल मीणा निवासी रा.उ.वि. के पास ग्राम कोटडी तुलसी कोटरी बरन मदंग जिला बारां राज. द्वारा ऑनलाईन नाम हस्तान्तरण हेतु प्राधिकरण कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त भूखंड का पट्टा क्रमांक 2154 दिनांक 26.10.2018 को श्री राकेश कुमार मिश्रा पुत्र श्री रामजग मिश्रा के पक्ष में जारी किया गया था। पट्टाधारी द्वारा उक्त भूखंड का बैचान जर्ये रजि. विक्रय पत्र दिनांक 26.05.2021 को जर्ये मुख्तारआम श्रीमती संजीदा पत्नी श्री अय्युब खान द्वारा आवेदक के पक्ष में किया गया है।

अत: श्री राजकुमार मीणा पुत्र श्री छीतर लाल मीणा के पक्ष में नाम हस्तान्तरण जारी किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अन्दर 7 योम कार्यालय में उपस्थित होकर अथवा लिखित में अद्योहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें। मियाद गुजर जाने के बाद आपत्ति मान्य नही होगी। **उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा**

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ/तहसील/क.ब./2025/162 दिनांक:-23.6.25

नाम हस्तान्तरण हेतु विज्ञप्ति आम सूचना

कोटा विकास प्राधिकरण की आनन्दपुरा आवासीय योजना के भूखंड/आवास संख्या 1056 का आवंटन/हस्तान्तरण/रहज. न्यास के पत्र दिनांक 26.05.1990 को श्री घनश्याम लाल पुत्र श्री गणपतलाल को किया गया था। आवंटी द्वारा उक्त भूखंड/आवास का जर्ये मुख्तारआम श्री विमल कुमार यादव पुत्र प्रभूलाल जी द्वारा जर्ये अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र 819 दिनांक 21.04.2007 को श्रीमती संगीता पत्नी श्री ललित यादव एवं श्री शिवचरण यादव पुत्र किशनलाल को विक्रय कर दिया गया है। क्रेता द्वारा उक्त भूखंड/आवास का अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि यदि इस नाम हस्तान्तरण की स्वीकृति देने में किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो वह 7 दिवस में अपनी आपत्ति कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर लिखित में प्रस्तुत कर देवे। अन्यथा बाद मियाद उक्त आवास का नाम हस्तांतरण श्रीमती संगीता पत्नी श्री ललित यादव एवं श्री शिवचरण यादव पुत्र किशनलाल के नाम से कर दिया जावेगा।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

क्रमांक:-एफ11 विक्रय/2025/159 **विज्ञप्ति** दिनांक:- 23.06.2025

कोटा विकास प्राधिकरण कोटा की योजना बसंत विहार केशवपुरा-9 आवास संख्या 979 को आवंटन/ न्यास के पत्र क्रमांक 375 दिनांक 19.11.1989 को श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री देवीदत्त शर्मा को आवंटन किया गया था। उक्त आवास की विक्रय स्वीकृति जर्ये मुख्तारआम श्रीमती नन्दूबाई पुत्री श्री चौथमल सेन द्वारा कोटा विकास प्राधिकरण कोटा से चाही जा रही है।

अत: जरिये आम सूचित किया जाता है कि इस विक्रय स्वीकृति में किसी को कोई एतराज या आपत्ति हो तो विज्ञप्ति जारी होने के 7 दिवस के अन्दर अन्दर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा मियाद गुजरने के पश्चात उक्त आवास संख्या 979 योजना बसंत विहार केशवपुरा-9 आवासीय की विक्रय स्वीकृति श्री ओम प्रकाश शर्मा पुत्र श्री देवीदत्त शर्मा जर्ये मुख्तारआम श्रीमती नन्दूबाई पुत्री श्री चौथमल सेन के नाम जारी कर दी जायेगी।

उपायुक्त कोटा विकास प्राधिकरण, कोटा

तालाबों पर अतिक्रमण के विरोध में के.डी.ए. कार्यालय पर प्रदर्शन किया

कोटा, (निसं)। तालाब बचाओ संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनोज दुबे के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तालाबों पर हो रहे अतिक्रमण एवं भराव, सोगरिया तालाब से अतिक्रमण हटाने एवं केडीए द्वारा अतिक्रमण हटाने में भेदभाव एवं मनमानी करने का विरोध करते हुए विभिन्न मांगो को लेकर केडीए कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के बाद केडीए उपायुक्त मालवीका त्यागी एवं संभागीय आयुक्त को अलग-अलग ज्ञापन सौंपा। जिस पर उन्होंने उचित कार्यवाही करने का भरोसा दिलाया। मनोज दुबे ने सोगरिया तालाब से अतिक्रमण हटाने की मांग करते हुए कहा की सोगरिया तालाब पर अतिक्रमण के विरोध में तालाब बचाओ संघर्ष समिति द्वारा केडीए को की गई लिखित शिकायत पर केडीए द्वारा 23 मई 2025 को अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी करने के बाद भी केडीए द्वारा सोगरिया तालाब से अतिक्रमण नहीं हटाना अतिक्रमणकारियों के हौसले को बढ़ावा दे रहा है। जिससे भूमाफिया तालाब में मट्टी डालकर तालाब का भराव कर अतिक्रमण कर रहे है। जिसे अविलम्ब हटाया जाए। मनोज दुबे ने कहा की सोगरिया तालाब पर अतिक्रमण हटाने के मामले में जानबूझ कर देरी करने एवं अतिक्रमण करने वाले भूमाफियाओं से मिलीभगत करने वाले कर्मचारियों की

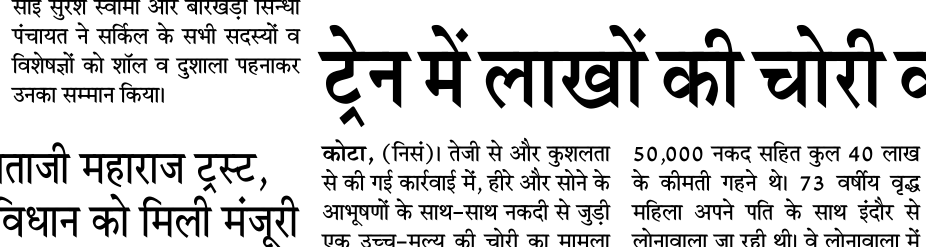
तालाब पर अतिक्रमण के विरोध में ज्ञापन सौंपा।

भूमिका की जाँच करवा कर उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। मनोज दुबे ने कहा की शिकायतकर्ता को ही नोटिस देने की जाँच हो, तालाब बचाओं संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष ने सोगरिया तालाब पर अतिक्रमण हटाने के लिए केडीए को लिखित शिकायत की थी जिस पर कार्यवाही के स्थान पर शिकायत कर्ता को ही नोटिस जारी करने के मामले की जाँच हो ओर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए।

मनोज दुबे ने कहा की कोटा में केडीए के कुछ अधिकारी एवं कर्मचारी राजस्थान सरकार के जल संरक्षण अभियान की धज्जियाँ उड़ा रहे है। तालाबों पर अतिक्रमण करने वालों को संरक्षण देकर अतिक्रमण करने वाले भूमाफियाओ का मनोबल बढ़ा रहे है। जिसके खिलाफ कार्यवाही हो एवं पूर्ण रूप से अंकुश लगे। मनोज दुबे ने चेतावनी देते हुए कहा की अगर अतिशीघ्र सोगरिया तालाब पर से अतिक्रमण नहीं हटा ओर केडीए के अतिक्रमण हटाने में भेदभाव एवं मनमानी पर अंकुश नहीं लगा तो केडीए कार्यालय पर अनिश्चित कालीन धरने पर बैठ जाएंगे। मनोज दुबे ने कहा केडीए द्वारा रोड़ के दोनों तरह समान रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन रोड़ के एक तरह अतिक्रमण हटाना, बीच में छोड़-छोड़ कर अतिक्रमण हटाना गलत है। अतिक्रमण हटाने में भेदभाव एवं मननानी करना भी गलत है। सोगरिया में अतिक्रमण की निष्पक्ष जांच हो ओर ईमानदारी के साथ अतिक्रमण हटे, सोगरिया में अतिक्रमण के मामले में केडीए अधिकारियों को गुमराह किया जा रहा है। पक्के अतिक्रमण को हटाने के स्थान पर लोगों को बेवजह परेशान किया जा रहा है। जिसकी केडीए के सक्षम अधिकारी से जाँच करवाए ताकी लोगो को बेवजह परेशानी ना हो।

मनोज दुबे ने सोगरिया पटवारी एवं कानूगो को सोगरिया से हटाए जाने की मांग करते हुए दोनों पर राजनैतिक संरक्षण में भूमाफियाओं से मिलीभगत कर भूमाफियाओं को अतिक्रमण करने का बढ़ावा देने एवं मनमानी करने का आरोप लगाया है। मनोज दुबे ने कहा की सोगरिया तालाब के साथ साथ अन्य सभी तालाबों के भराव एवं अतिक्रमण पर पूर्ण रोक लगे ताकी तालाबों का स्वरुप ना बिगड़े। तालाब जल संरक्षण का प्रमुख स्रोत्र है। जिसे बचाने के लिए तालाबों को बचाना जरुरी है। इस अवसर पर कुंदन चीता, मंजू चौधरी, राकेश कुमावत, डॉ.महेश पारिक, रजिया बानो, तेजपाल सिंह भोला, राजेश चौहान, विनीत स्टोन, सुनील पटेल, कृष्ण मुरारी दुबे (भोलू) जावेद हुसैन, राजेन्द्र मेठोलिया, रईश खान, प्रवेश वशिष्ठ, विनोद सिंह, मुकेश मीणा, भगवान गौतम, भरत राज मीणा, ओम प्रकाश मीणा, लटूर लाल मेरोठा, कालू लाल रैगर, बाबू लाल मेहरा, शायरा बानो सहित सैकड़ों कार्यकर्त्ता मौजूद थे।